# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या– 2025/163**

1. हेमराज आत्मज रामकरण
2. मेघराज आत्मज रामकरण
3. बद्री बाई बेवा रामकरण
4. द्रोपदी बाई पुत्री रामकरण
   जाति मेघवाल निवासीगण सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

**– अपीलांटगण**

**बनाम**

चतरा आत्मज अमरा(तथाकथित गोदपुत्र नाथू) जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा

2. संतोष पत्नी रामदेव जाति मेघवाल निवासी मालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. उर्मिला बाई पत्नी प्रहलाद जाति मेघवाल निवासी मालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
5. रामनारायण पुत्र अमरा जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
6. तरूण कुमार मीमरोट आ0 राधेश्याम मीमरोट निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

**–रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री बाबूलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री अशोक कुमार मीणा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।
3. श्री मोहनलाल मेडतवाल, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2, 6 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांक 14.11.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 151/2009 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 182 की 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 की 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 की 1.46 हेक्टर कुल चार किता की 4.01 हेक्टर भूमि नाथू पुत्र घांसी बलाई निवासी उकल्दा के नाम

खाते में दर्ज चली आ रही थी। नाथू जी के कोई सुलबी ओलाद नहीं थी और वादी को ही नाथू जी ने अपने पास रख लिया था और अपना गोद पुत्र बनाया तथा नाथू जी ने दिनांक 20-6-98 को वादी के पक्ष में एक वसियत नामा भी रूबरू गवाहान वादी के पक्ष में उपरोक्त भूमि व मकान के सम्बन्ध में आलेखित किया। जिसकी प्रति सलंग्न है। नाथू जी की दिनांक 28-6-1998 को मृत्यु हो गयी जिसके समस्त किया कर्म पुत्र की हैसियत से वादी ने ही किया तथा वादी ही नाथू जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार गया और पगडी भी वादी के बंधी जो समाज व पंचों ने गांव वालों की उपस्थिती में उक्त पगडी की रस्म अदा की। मृत्यु प्रमाणपत्र व फोटो सलंग्न है। नाथू जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं० 1 ने नाथू जी की सम्पूर्ण आराजी को चुपचाप तरीके से अपने नाम इंत्तकाल नं0 231 दिनांक 10-7-2000 को तस्दीक करवा लिया। जब कि वादी उक्त भूमि पर नाथू जी के जीवन काल में व उनकी मृत्यु के बाद नाथू लाल जी द्वारा छोडी गयी कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा नाथू जी द्वारा छोड़े गये मकान पर भी काबिज चला आ रहा है। वादी ने उक्त इन्तकाल नं0 231 की अपील श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दीगोद के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 05-12-2002 को उक्त इन्तकाल नं0 231 निरस्त फरमाया दिया गया तथा प्रकरण को तहसीलदार दीगोद के समक्ष दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश जारी किया गया। जिस पर प्रकरण प्रतिवादी नं. 4 तहसीलदार दीगोद के यहां विचाराधीन है जहां पर आगामी पेशी दिनांक 23-6-2006 नियत की गई है। उक्त इन्तकाल खारिज होने के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटना आवश्यक था किन्तु प्रतिवादी नं0 4 द्वारा अभी तक उक्त राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी नं० 1 का नाम नही हटाया। उपरोक्त भूमि गलत रूप से प्रतिवादी नं० 1 के खाते दर्ज रहने के कारण प्रतिवादी नं० 1 के मन में बदनियती आ गई और प्रतिवादी नं० 1 ने उपरोक्त भूमि में से खसरा नं0 471 की 1.46 हैक्टर आराजी को 29-5-2006 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 को अवैध रूप से उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय तहसीलदार साहब दीगोद के समक्ष विचाराधीन रहते हुये अपने आप को लाभ प्राप्त करने की नियत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दी। इन्तकाल नं0 231 जो खारिज हो चुका था तो उसके आधार पर प्रतिवादी नं० 1 को विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई अधिकार शेष नहीं रहे वैसे भी उपरोक्त समस्त भूमि पर नाथूजी की मृत्यु के बाद वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण प्रतिवादी नं० 1 उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के रहन व बेचान करने के अधिकार नहीं रहें। इस कारण प्रतिवादी नं० 1 द्वारा किया गया बेचान विधि विरूद्ध अवैध व शून्य होने से प्रतिवादी नं0 2 व 3 को भी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है कि प्रतिवादी नं0 2 व 3 उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करे। उपरोक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नं0 1. 2, 3 ने प्रतिवादी नं0 4 जो स्वयं तहसीलदार व उपपंजीयक है और जिसके यहां उक्त इन्तकाल नं0 231 के सम्बन्ध में कार्यवाही जैरकार है, से मिली भगत व साजिश कर उपरोक्त खसरा नं0 471 का अवैध बेचान के आधार पर इन्तकाल अपने नाम खुलवाना चाहते है तथा उपरोक्त भूमि पर से वादी को

बेदखल करने व उपरोक्त खरीदी हुई भूमि को खुर्द बुर्द अन्तरण करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिवादी नं0 2 व 3 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी उपरोक्त नाथू जी की वसियत के आधार पर तथा नाथू जी का एक गोद पुत्र होने के आधार पर उपरोक्त नाथू जी द्वारा छोड़ी गई भूमि को अपने खाते दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादी नं० 1 द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में मुकदमा विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी नं0 2 व 3 को भूमि विक्रय करने पर तथा उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा वादी को खसरा नं0 471 की 1.46 हैक्टर भूमि से बेदखल करने की दिनांक 5–6–2006 को धमकी देने पर पैदा हुआ। प्रतिवादी नं0 4 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी में प्रतिवादी नं0 4 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे (1). कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 182 की 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 की 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 की 1.46 हेक्टर कुल चार किता की 4.01 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। (2). कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 182 की 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 की 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 की 1.46 हेक्टर कुल चार किता की 4.01 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं० 1 के खाते से हटायी जावे तथा वादी के खाते दर्ज की जावे। (3). कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 182 की 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 441 की 1.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 की 1.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 की 1.46 हेक्टर कुल चार किता की 4.01 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व रहन व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे और न वादी को उक्त भूमि को काश्त करने में व्यवधान पैदा करे और न वादी को बेदखल करे। (4) कि प्रतिवादी नं0 4 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे । (5) कि वादी को प्रतिवादी गण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (6) कि अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2025 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र राजीनामे के आधार पर स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2025 को पारित किया गया है। वाद पत्र में अपीलान्टान पक्षकार नहीं थे इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। उक्त निर्णय व डिक्री कीपालना में रेस्पो० 1 द्वारा रेस्पो० नं० 4 से अपने नाम नामा० सं0 1158 दिनांक 22–4–2025 को तस्दीक करवा लिया इसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाने पर उक्त इंतकाल की अपील अति० जिला कलेक्टर कोटा के यहां पेश की तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 22–2–25 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 2–5–25 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 5–5–25 को नकल प्रमाणित प्राप्त हुई ओर दिनांक 20–2–25 से 5–5–25 तक के दिन को व रूपयों के इंतजाम में लगे दिन को कन्डौन किया जाकर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि दिनांक 20–2–25 से 5–5–25 तक के दिन को व रूपयों के इंतजाम में लगे दिन को कन्डौन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार नाथू जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनकी बेवा पत्नी मथुरी को प्राप्त हुई और मथुरी ने उक्त भूमि की वसीयत अपीलांटगण के पिता रामकरण के नाम आलेखित की है। उक्त भूमि में रामकरण जी का हित निहित है तथा रामकरण जी की मृत्यु हो जाने से अपीलांटगण का ही उक्त भूमि में हित निहित है व अपीलांटगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण के अधिकार प्रभावित हो रहे है। इस कारण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित पक्षकार यानी एग्रीव्ड परसन होने से अपील पेश करने व गुणावगुण के आधार पर अपील निर्णित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अन्त में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2025 विधि एवं न्याय पत्रावली में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी डिक्री करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 106 पर ख0नं0 182, 441, 442,471 कुल चार किता की 4–01 हेक्टर भूमि नाथू पुत्र घांसी जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। नाथू जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि नाथू जी की पत्नी मथुरी बाई के नाम सही रूप से दर्ज हुई तथा रेस्पो० नं० 1 नाथू जी का गोद पुत्र नहीं है। इसके बावजूद भी रेस्पो० नं० 1 को नाथू जी का गोदपुत्र मान कर दावा वादी डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० नं0 4 रामनारायण का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न कभी कब्जा रहा है इसके बावजूद भी रेस्पो०नं० 1 ने रेस्पो० नं0 4 ने आपस में मिली भगत कर राजीनामा कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर उसके आधार पर दावा वादी डिक्री करने में त्रुटि की है। नाथूजी की भूमि मथुरी बाई के नाम दर्ज होने के पश्चात् मथुरी बाई ने जीवनकाल में अपीलान्टान के पिता रामकरण जी के पक्ष में वसीयत दिनांक 16–7–2001 को आलेखित की थी उक्त भूमि पर रामकरण जी व उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टान काबिज काश्त चले आ रहे है। इस तथ्य को रेस्पो० नं० 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से छिपा कर दावा वादी डिक्री करवा लिया जो खारिज होने योग्य है। रेस्पो० नं0 1 ने नाथू जी द्वारा सन् 1982–83 में उसको गोद लेना बताया है जबकि वर्ष 1982–83 में रेस्पो० नं० 1 की उम्र 30 वर्ष की थी तथा गोद यानी दत्तक ग्रहण के संबंध में

कोई परम्परा के अनुसार गोद अनुष्ठान नहीं किया गया ओर न कोई गोद का दस्तावेज आलेखित किया गया इस आधार पर सिविल न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 को नाथू जी का गोद पुत्र नहीं माना इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। रेस्पो०नं० 1 ने मथुरी बाई द्वारा रेस्पो० न० 2 व 3 को बेची गयी भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 31–5–2006 को निरस्त करने का दावा सिविल न्यायालय मे चतरा–बनाम–मथुरी, क्रेता रेस्पो० नं0 2 व 3 को पक्षकार बनाकर वाद नं0 24/2006 (387/14) पेश किया। उक्त वाद की जानकारी होने पर मथुरी की मृत्यु होने के बाद अपीलान्टान के पिता रामकरण जी द्वारा पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया व रामकरण जी को प्रतिवादी नं0 4 रिकार्ड पर लिया गया। रामकरण की मृत्यु, के बाद अपीलान्टान को रिकार्ड पर लिया गया। उक्त वाद को अपर जिला न्यायाधीश नं0 2 कोटा द्वारा रेस्पो० नं० 1 का वाद खारिज कर दिया जिसमें रेस्पो० 1 को नाथू जी का गोद पुत्र नहीं मांना तथा रेस्पो०नं० 1 के पक्ष में तथाकथित वसीयत को विधि अनुकूल वसीयत की श्रेणी में नहीं माना तथा अपीलान्टान के पिता रामकरण जी के पक्ष में लिखी गयी वसीयत दिनांक 16–7–2001 को वेध माना गया है। इस प्रकार रेस्पो०नं० 1 का नाथू जी अथवा मथुरी बाई के खाते की भूमि में उसका कोई हक व अधिकार व कब्जा नही है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। नाथू जी ने कोई वसीयत रेस्पो० नं0 1 के पक्ष में आलेखित नहीं की। तथाकथित वसीयत दिनांक 20–6–98 अवैध बनावटी व कूटरचित है क्योंकि नाथू जी की मृत्यु दिनांक 28–6–98 को लम्बी बीमारी की अवस्था में हो गयी ओर नाथूजी वसीयत करने की स्थिती में नहीं थे। इसी कारण सिविल न्यायालय ने उक्त वसीयत को विधि सम्मत नहीं माना । खातेदार नाथू जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनकी बेवा पत्नी मथुरी को प्राप्त हुई ओर मथुरी ने उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्टान के पिता रामकरण जी के नाम आलेखित की है। उक्त भूमि मे रामकरण जी का हित निहित है तथा रामकरण जी की मृत्यु हो जाने से अपीलान्टान का ही उक्त भूमि में हित निहित है व अपीलान्टान का कब्जा चला आ रहा है। तथा रेस्पो० नं01 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलान्टान के अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा अपीलान्टान एग्रीव्ड परसन होने से धारा 96 जा०दी० के आवेदन के साथ यह अपील पेश कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद में अपीलान्टान के पिता रामकरण जी को पक्षकार नहीं बना कर अपने भ्राता रामनारायण को पक्षकार बना कर केवल मात्र भ्राता से राजीनामा कर वाद डिक्री करा लिया जो खारिज होने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है और ना ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हस्तगत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा गया है। यदि माननीय न्यायालय वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम की प्रविष्टियों को यथावत रखते हुए शेष भूमि के सम्बंध में अपीलांटगण के पक्ष में आदेश पारित करता है तो अपीलांटगण को किसी प्रकार की आपत्ति

नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत ए. एन.जे. एस.सी. 2004(2) पेज 291, आर.आर.डी. 1983 पेज 841, आर.आर.डी. 1983 पेज 594, आर.आर.डी. 1983 पेज 539, आर.आर.डी. 1999(1) पेज 173, आर.एल.डब्ल्यु. एस.सी. पेज 107, ए.आई.आर. 2001(पटना) पेज 20, ए.आई.आर. 2001(केरला) पेज 3, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. पेज 1056, ए.आई.आर. 2001(1) पेज 459 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-2-2025 निरस्त किए जाने तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नाथू के खाते की भूमि है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा खातेदार नाथू का गोदपुत्र है। नाथू के कोई औलाद नहीं थी इसलिए नाथू द्वारा चतरा को गोदपुत्र रखा गया। नाथू द्वारा दिनांक 20.06.1998 को वादग्रस्त आराजी की वसीयत चतरा के पक्ष में रूबरू गवाहान निष्पादित की गई। नाथू का देहान्त होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 मथरी बाई द्वारा नाथू के खाते की भूमि को इन्तकाल संख्या 231 दिनांक 10.7.2000 को अपने नाम तस्दीक करवा लिया। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथू की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी एवं मकान पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है। इन्तकाल संख्या 231 की अपील वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी दीगोद ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.2002 से उक्त इन्तकाल संख्या 231 को निरस्त किया जा चुका है। प्रश्नगत वसीयत दिनांक 20.06.1998 नाथूलाल द्वारा निष्पादित की गई अन्तिम वसीयत है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा के पक्ष में निष्पादित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 5 प्रस्तुत राजीनामे में प्रश्नगत वसीयतनामे के आधार पर खातेदार नाथू द्वारा वादग्रस्त आराजी चतरा को हस्तांतरित किया जाना स्वीकार किया गया है। साथ ही प्रश्नगत राजीनामे में नाथू द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 20.06.1998 को अन्तिम वसीयत होना स्वीकार किया है तथा उक्त वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त आराजी को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा के खाते दर्ज किए जाने का निवेदन किया प्रश्नगत राजीनामे में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत राजनीमे का विधिपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 पारित की है जो विधि सम्मत है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण को परेशान करने के उद्देश्य से अपील पेश की गई है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में ना तो अपीलांट का कब्जा काश्त है और ना ही अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार निहित है, अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी. सी. स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

दिनांक 20.02.2025 की भली–भांति जानकारी प्रारंभ से ही रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होन से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमारे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध हस्तगत अपील एवं वाद में वादी एवं अपीलांट द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। हम वादग्रस्त आराजी के सद्भावी केता है अतः वादग्रस्त आराजी में हमारे हक अधिकारों को संरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के हक अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए अपील का निस्तारण किए जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया है तथा अपीलांट ने स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने का कथन करने हेतु अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खातेदार नाथू की मृत्यु के पश्चात उसकी बेवा मथुरी को प्राप्त हुई तथा मथुरी द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत अपीलांटगण के पिता रामकरण के नाम आलेखित की गई है, अतः वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के पिता रामकरण का हित निहित है तथा रामकरण की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण का हित निहित है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांटगण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 16.07.2001 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद की खसरा संख्या 182 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा संख्या 441 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 1.46 कुल किता 4 रकबा 4.01 हैक्टेयर भूमि की वसीयत अपने भतीजे रामकरण आत्मज देवीलाल के पक्ष में निष्पादित किए जाने का अंकन है। चूंकि वादग्रस्त आराजी की वसीयत अपीलांटगण के पिता रामकरण के पक्ष में निष्पादित किया जाना प्रकट होता है, अतः अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। न्यायहित में अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 के अनुसार खसरा संख्या 182, 441, 442, 471 कुल किता 4 रकबा 4.01 हैक्टेयर आराजी मथुरी बेवा नाथू की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार खसरा संख्या 182, 441, 442 कुल किता 3 रकबा 2.55 हैक्टेयर आराजी नाथू पुत्र घासी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 73 के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 182, 441, 442 व 471 कुल किता 4 कुल रकबा 4.01 हैक्टैयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 'दर्ज नाथू पुत्र घासी के स्थान पर विरासत से मथरी बाई बेवा नाथू का नाम दर्ज किए जाने का अंकन है। पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 29.05.2006 के अनुसार मथुरी बेवा नाथू द्वारा अपने खाते की खसरा संख्या 471 रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि सन्तोष बाई मेघवाल पत्नि रामदेव मेघवाल को विक्रय की जाकर कब्जा सुपुर्द किए जाने का अंकन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद के निर्णय दिनांक 05.12.2002 के अनुसार ग्राम पंचायत तोरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 231 निरस्त किया जाने का आदेश अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नाथू के

खाते की भूमि है तथा नाथू द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोदपुत्र के रूप में रखा था तथा नाथू द्वारा दिनांक 20.06.1998 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत आलेखित की गई है। प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा की ,खसरा संख्या 182 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा सख्या 441 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 1.46 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.01 हैक्टेयर भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामें के अनुसार वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा को प्रश्नगत खसरा संख्या 182, 441, 442 कुल किता 3 रकबा 2.55 हैक्टेयर आराजी का खातेदार घोषित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का हस्तगत अपील में कथन रहा है कि खातेदार मथरी बाई द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 16.07.2001 को अपीलांटगण के पिता रामकरण के पक्ष में निष्पादित की गई है अतः रामकरण की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण का हक अधिकार निहित है। अतः हस्तगत प्रकरण में वादी रस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अपीलांटगण द्वारा अलग–अलग वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त आराजी अपने–अपने हक अधिकार निहित होने का कथन किया गया है। जहां तक वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के पक्ष में आलेखित की गई तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 का प्रश्न है, उक्त वसीयतनामा तहरीर दिनांक 20.06.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वसीयतनामा तहरीर दिनांक 20.06.1998 अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त वसीयतानामा तहरीर में वसीयत की गई भूमि के खसरा नम्बरान का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त वसीयतनामे के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 मथरी बाई द्वारा असहमति का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 मथरी बाई व उसके पति नाथू ने कभी गोद नहीं लिया है तथा उक्त वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 फर्जी एवं बनावटी दस्तावेज है। .अपीलांट द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या–2 कोटा के वाद संख्या 24/2006(387/14) में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। उक्त वाद संख्या 24/2006(387/14) वादी चतरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी चतरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मथरी .बाई द्वारा ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद की खसरा संख्या 471 रकबा 1.46 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में निष्पादित किए गए पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 31.05.2006 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कोटा द्वारा उक्त प्रकरण में कुल पांच तनकीयात कायम की गई है जिनमें तनकी संख्या 4 इस प्रकार है– "आया वादी ने नाथू जी की मृत्यु के बाद फर्जी वसीयत तैयार की?" उक्त तनकी संख्या 4 में पारित निष्कर्ष में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 को विधि अनुकूल नहीं होना माना है। साथ ही माननीय

न्यायालय द्वारा वादी चतरा को नाथू का गोदपुत्र नहीं मानते हुए उक्त वाद को खारिज किए जाने का आदेश पारित किया है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मथरी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वाद पत्र की चरण संख्या 7 में प्रतिवादी संख्या 1 मथुरी बाई द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 471 रकबा 1.46 हैक्टेयर आराजी को दिनांक 29.05.2006 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से बेचान किया जाना स्वीकार किया है तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 29.06.2006 के आधार पर किए गए बैचान को अवैध रूप से बैचान किया जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 मथरी बाई की मृत्यु होना जाहिर आया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 20.02.2025 को प्रस्तुत किया गया है जो प्रतिवादी संख्या 1 मथुरी बाई की मृत्यु के पश्चात पेश किया गया है तथा उक्त राजीनामा केवल वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा एवं प्रतिवादी संख्या 5 रामनारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अन्य किसी भी पक्षकार के उक्त राजीनामा दिनांक 20.02.2025 पर हस्ताक्षर अंकित नहीं है अतः प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 20.02.2025 सभी पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रकट होता है। उक्त राजीनामे में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 के आधार पर वादी चतरा को प्रश्नगत खसरा संख्या 182, 441, 442 किता 3 रकबा 2.55 हैक्टेयर आराजी का खोतदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या –2 कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2019 में विधि अनुकूल नहीं होना स्वीकार किया है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 20.02.2025 में वसीयतनामा दिनांक 20.06.1998 के आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जो चाहा गया है, उक्त अनुतोष प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामे के आधार पर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद की खसरा संख्या 182, 441, 442 किता 3 रकबा 2.55 हैक्टेयर का वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 20.02.2025 में अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत मथरी बाई द्वारा उनके पिता रामकरण के पक्ष में निष्पादित किए जाने का कथन किया गया है। अपने कथनो के समर्थन में अपीलांटगण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 16.07.2001 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें मथुरी बाई द्वारा ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा संख्या 182 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा सख्या 441 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 1.46 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.01 हैक्टेयर भूमि की वसीयत अपने भतीजे रामकरण आत्मज देवीलाल के पक्ष में निष्पादित किए जाने का अंकन है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 16.07.2001 के आधार पर अपीलांटगण के हक अधिकारों का निर्धारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। परन्तु प्रश्नगत वसीयतनामे के आधार पर अपीलांटगण के हक अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्योपरांत ही किया जाना

संभव है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 151/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार कायम करें तथा प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 16.07.2001 के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण के हक अधिकारों के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम करें, तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 31.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**